उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–2554 / दस–2007–247 / 2007
लखनऊ : दिनाँक : 06 जुलाई, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–879 / दस–2007–247 / 2007 दिनाँक 15 मार्च, 2007 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 206 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007–2008 के दो माहों (अगस्त व सितम्बर, 2007) के लिये द्वितीय लेखानुदान स्वीकृत किया जा चुका है, ताकि राज्य सरकार वर्ष 2007–2008 का आय–व्ययक पारित होने तक उक्त अवधि के दौरान होने वाले खर्चों को वहन कर सके । समेकित निधि में से विधान सभा द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण और उक्त निधि पर भारित धनराशि के विनियोग किये जाने का प्राधिकार भी विधान मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2007) द्वारा प्रदान कर दिया गया है । विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत धनराशि द्वितीय लेखानुदान से सम्बन्धित बजट साहित्य में प्रदर्शित की गई है ।

2– द्वितीय लेखानुदान अवधि के लिए स्वीकृत धनराशि मोटे तौर पर वर्ष 2007–2008 के अनुमानित व्यय का 2 / 12वां भाग है, परन्तु जिन मामलों में यह अनुपात सुनिश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और प्रतिमाह व्यय की जाने वाली धनराशि समान रूप से वितरित नहीं की जा सकती है, वहाँ आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था की गई है । द्वितीय लेखानुदान से सम्बन्धित बजट साहित्य में प्रदर्शित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए लेखानुदान अवधि में वेतन, भत्तों तथा वचनबद्ध व्यय की अन्य मदों में धनराशि व्यय की आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाय । 'द्वितीय लेखानुदान' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर व्यय हेतु नहीं किया जाय ।

उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 15 मार्च, 2007 के प्रस्तर 2(1) व 2(2) को छोड़कर अन्य सभी निर्देश द्वितीय लेखानुदान द्वारा व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने / व्यय करने के सन्दर्भ में यथावत् लागू होगें ।

(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव, वित्त ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

संख्या : बी–1–2554(1) / दस–2007–247 / 2007, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
(लहरी यादव)
बजट अधिकारी ।